01/06/2021

संख्या– 950/एक–10–2021–33(221)/2011टीसी–3

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग–5,
उत्तर प्रदेश शासन।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांकः 01 जून, 2021

विषयः– कोविड–19 महामारी की रोकथाम एवं उपचार हेतु ऑक्सीजन सिलेण्डर, उपकरण, जांच लैबों तथा किट क्रय करने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन किये जाने के सबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग–5, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक– 1049/पांच–5–2021 दिनांक 25.05.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन लि0 लखनऊ के पास कोविड केयर फण्ड से स्वीकृत धनराशि में से अवशेष धनराशि रू0 44.95 करोड़ में से निम्नानुसार धनराशि व्यय करने पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया हैः–

(1) रू0–15.00 करोड़ की धनराशि से ऑक्सीजन सिलेन्डर क्रय करने का प्रस्ताव।
(2) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 से कोविड चिकित्सालयों हेतु प्राप्त इण्डेन्ट के आधार पर निम्नानुसार कुल रू0–13.90 करोड के क्रयादेश निर्गत किये जा चुके हैं, उक्त व्यय अवशेष धनराशि से करने का निम्न प्रस्तावः–

(a) 12 BSL Lab हेतु रू0–6.52 करोड

Sr. No	Name of Equipment	Unit Rate Including GST	Qty Per facility	Total Cost per facility	Facility Detail
1	RNA Extractor 96 Well	19,11,600.00	1	19,11,600.00	1- DH Auraiya 2- DH Gauriganj Amethi 3- DH Deoria 4- 100 Bedded Hopital Tadiyaon Mau 5- CHC Jogiya Siddharthnagar 6- Trauma Center Sonbhadra 7- DFH Bulandshar 8- Kasganj PPC Bhawan 9- DH Sitapur 10- DH Mahoba 11- DH Kushinagar 12- DCH Bijnor
2	Bio Safety Cabinet Class-II	5,01,500.00	2	10,03,000.00	
3	-20° Deep Freezer	2,71,282.00	1	2,71,282.00	
4	2KVA U.P.S	60,012.00	1	60,012.00	
5	-86° Deep Freezer	4,31,058.72	1	4,31,058.72	
6	Refrigerated Micro centrifuge	5,19,200.00	1	5,19,200.00	
7	RTPCR	11,50,500.00	1	11,50,500.00	
8	Autoclave	87,320.00	1	87,320.00	
	Total Cost for 12 BSL Labs			6,52,07,672.64	

(b) तीन 100 Bedded चिकित्सालयों हेतु रू0–3.13 करोड़

Sr.No	Health Facility Name	Name of Equipment	Unit Rate Includin g GST	Indent Qty	Total Cost

		Multi Para Monitor	1,00,000.00	100	1,00,00,000.00
2	Ghaziabad -CMO	HFNC	4,04,425.60	15	60,66,384.00
3	Varanasi - CMO	B- Type Oxygen Cylinder	10,000.00	1000	1,00,00,000.00
		Total-			3,18,41,384.00

(c) फर्रुखाबाद हेतु रु0–1.32 करोड़

Sr. No	Name of Equipment	Unit Rate Including GST	Indent Qty	Total Cost
1	ECG Machine	36,400.00	2	72,400.00
2	Portable Digital X-Ray	16,57,600.00	1	16,57,600.00
3	HFNC (With Accessories)	4,04,425.60	25	1,01,10,640.00
4	Pulse Oxymeter	1,666.66	300	5,00,000.00
5	Thermal Scanner	2,666.66	300	8,00,000.00
	Total-			1,31,40,640.00

(d) बलरामपुर चिकित्सालय हेतु रु0–2.06 करोड

Sr. No	Name of Equipment	Unit Rate Including GST	Indent Qty	Total Cost
1	Multi Para Monitor	1,00,000.00	100	1,00,00,000.00
2	Fowler Bed	56,600.00	150	84,95,000.00
3	Bed Side Locker	22,000.00	100	22,00,000.00
	Total-			2,06,95,000.00

(e) नोएडा कोविड चिकित्सालय हेतु रु0–0.82 करोड़

Sr. No	Name of Equipment	Unit Rate Including GST with Accessories	Indent Qty	Total Cost
1	HFNC	4,04,425.60	20	80,88,512.00

(3) उपलब्ध अवशेष धनराशि रु0–16.05 करोड़ के सापेक्ष दिनांक 21.12.2020 को 19वी बैठक में लिए गए निर्णयानुसार Truenet Kit के क्रय हेतु रू0–6,04,80,000.00 की स्वीकृति दी गई थी, किन्तु धनराशि अवमुक्त नही की गयी थी वर्तमान में नियमानुसार भुगतान हेतु प्राप्त बिल रू0–6,04,80,000.00 भुगतान का प्रस्ताव।

(4) शेष उपलब्ध रु0 1,00,12,00,00.00 एवं ब्याज राशि रु0 42,11,308.00 इस प्रकार कुल राशि रु0 10,43,31,308.00 से Antigen Test Kit का क्रय किये जाने का प्रस्ताव।

2– कोविड केयर फण्ड की दिनांक 06.05.2021 को सम्पन्न 20वीं बैठक में उ0प्र0 मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन लि0 लखनऊ के पास उपलब्ध अवशेष धनराशि ब्याज सहित वापस किये जाने हेतु लिये गये निर्णय के दृष्टिगत अवशेष धनराशि से व्यय करने की अनुमति प्रदान करना सम्भव नहीं है।

3– उपरोक्तानुसार आवश्यक धनराशि को व्यय करने की अनुमन्यता राज्य आपदा मोचक निधि में विद्यमान होने के दृष्टिगत सम्यक विचारोंपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 महामारी की रोकथाम एवं उपचार हेतु ऑक्सीजन सिलेण्डर, उपकरण, जांच लैबों तथा किट क्रय करने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू0 44,95,00,000/–(रूपये चौवालिस करोड़ पन्चानबे लाख मात्र) की धनराशि, निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1)जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। वित्तीय हस्त पुस्तिका/वित्तीय नियमों तथा प्रकियाओं का अनुपालन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्राप्त न हुयी हो।

(2)राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(3)निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराया जाये। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(4)राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2/1– 11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2022 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(5)उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(6)व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(7)उ0प्र0 मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा कोविड केयर फण्ड की उपलब्ध अवशेष धनराशि ब्याज सहित संबंधित बैंक खाते में वापस कर दी जाये।

4– उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि रू0 रू0 44,95,00,000/–(रूपये चौवालीस करोड़ पन्चानबे लाख मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–09–राज्य सरकार घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,
01/6/21
(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः–950/एक–10–2021–33(221)/2011टीसी–3,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3– प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज़ कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
4– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
5– विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन(ई–बजट), राजस्व विभाग उ0प्र0 शासन।
6– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
7– चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन। ।
8– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9– वित्त (व्यय –नियंत्रण) अनुभाग–5।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(राम केवल)
विशेष सचिव।